

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी— बी० एल० कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या /2019

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोंडेन्ट्स |
|---|------|---|
| 1. पारससिंह पुत्र छगन सिंह | | 1. सरदारसिंह पुत्र वागीया |
| 2. रणछोड सिंह पुत्र छगनसिंह | | 2. पर्वतसिंह पुत्र मगनसिंह |
| 3. पदमसिंह पुत्र वरदसिंह | | 3. बलवंतसिंह पुत्र मगनसिंह |
| 4. राजूसिंह पुत्र वरदसिंह | | 4. ममता पुत्री मगनसिंह |
| 5. फ़ैन्सी सिंह पुत्र वरदसिंह | | 5. नरेन्द्रसिंह पुत्र छगनसिंह |
| 6. रसालसिंह पत्नि वरदसिंह | | 6. गुलाबसिंह पुत्र छगनसिंह |
| 7. शांती पुत्री छगनसिंह | | 7. डैली पुत्री छगनसिंह निवासीगण— बाकरा तहसील जालोर। |
| 8. जनका पुत्री छगनसिंह निवासीगण— बाकरा तहसील जालोर। | | 8. आरएमजीबी शाखा बाकरा रोड, जालोर। |
| | | 9. एसबीआई शाखा जालोर। |
| | | 10. तसहीलदार, जालोर। |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा-75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 08.12.2015 जो न्यायालय तहसीलदार, जालोर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 32/2016 गुलाबसिंह वगैराह बनाम सरदारसिंह वगैराह में दिनांक 04.09.2019 में पारित किया गया।

उपस्थिति:-

1. श्री अमित मेहता, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक:- 27 नवम्बर, 2019

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम राजस्व अपील तहसीलदार, जालोर के द्वारा प्रकरण संख्या 32/2016 गुलाबसिंह वगैराह बनाम सरदारसिंह वगैराह में दिनांक 04.09.2019 को पारित किये गये निर्णय के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि यह प्रथम अपील भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (च) के तहत प्रस्तुत की है। उनका कथन था कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर के द्वारा अपील सं. 32/2016 में पारित रिमाण्ड आदेश की पालना में दोनों पक्षों को सुनकर पारित

किया है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय उक्त अधिनियम की धारा 135(2) के तहत पारित किया गया है जो कि तहसीलदार की हैसियत से न होकर भू-अभिलेख अधिकारी की हैसियत से किया गया है। इस संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 की ओर आकर्षित किया।

3. प्रस्तुत की गई अपील के सम्बन्ध में उक्त अपील को सुने जाने बाबत न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकारिता पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से है:—

धारा 75 के तह प्रथम अपील सिवाय, जबकि इस अधिनियम से अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, प्रथम अपील

- (क) भू प्रबन्ध अथवा भूमि अभिलेख से असम्बन्धित मामलों में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा से कलक्टर को,
 - (ख) सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर द्वारा भू प्रबन्ध से असम्बन्धित मामलों में दी गई मूल आज्ञा से राजस्व अपील अधिकारी को
 - (ग) भू प्रबन्ध अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध अधिकारी को,
 - (घ) भू अभिलेख अधिकारी के अधीनस्थ के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख अधिकारी को,
 - (ङ) भू प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों में भू प्रबन्ध अधिकारी या कलक्टर द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध आयुक्त को,
 - (च) भू अभिलेख से सम्बन्धित मामलों में भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख निदेशक को,
 - (छ) आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी अथवा भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा दी गई मूल आज्ञा से बोर्ड राजस्व मण्डल को होगी।
4. इसी प्रकार राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 एवं अधिनियम की धारा 135 को यहां उद्धरित करना समीचीन होगा।

- नोटिफिकेशन एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 के अनुसार इस प्रकार से है:—

“In pursuance of clause (b) of Section 260 of the Rajasthan Land Revenue Act 1975 (No.15 of 1956) the State Government is pleased to direct that the powers of a Land Records Officer to decide disputed cases referred to in sub-clause (2) of section 135 of the Act shall also be excercirced by Tehsildars.”

- धारा 135 एलआर एक्ट इस प्रकार से है:—
सूचना मिलने पर प्रक्रिया

“(1) ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जाँच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य अवाप्ति हो चुकी है तो वह उसे वार्षिक रजिस्ट्रों में अभिलिखित करेगा।

(2) यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में समक्ष हो, भेज देगा।”

5. धारा 135 (2) के अनुसार उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, तो विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में समक्ष हो, भेज देगा।” इस प्रकार स्पष्ट है कि इस धारा में भू अभिलेख अधिकारी (एल.आर.ओ.) का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे विवादास्पद मामलों को निपटाने के लिये भू अभिलेख अधिकारी LRO इस धारा 135(2) के तहत क्षेत्राधिकार के अभाव में कोई श्रवणाधिकार नहीं रखता है। अतः उक्त नोटिफिकेशन से तहसीलदार को एल.आर.ओ. की शक्तियां दे दिये जाने के पश्चात भी उसे ऐसे प्रकरण सुनने एवं निर्णय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती है।

6. यह भी सर्वविदित है कि तहसीलदार विरासत, वसीयत इत्यादि के विवादास्पद मामलों को इस अधिनियम अर्थात् भू राजस्व अधिनियम 1956 अथवा इस प्रकार के मामलों के निस्तारण से संबंधित अधिनियमों अर्थात् TP Act./Succession Act, Tenancy Act आदि के तहत सुनने एवं उसका निस्तारण करने के लिये सक्षम अधिकारिता एवं क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार धारा 135(2) में वर्णित विवादास्पद मामलों को सुनने एवं उस पर निर्णय करने हेतु तहसीलदार की हैसियत से सक्षम नहीं है। यही स्थिति भू अभिलेख अधिकारी (एल.आर.ओ.) की स्थिति उपरोक्त अधिनियम के तहत है।

7. धारा 135(2) के तहत उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवापित के विवादास्पद प्रकरणों को निर्णित करने हेतु भू अभिलेख अधिकारी को अधिकृत किया नहीं किया हुआ है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन एफ.1 (236)राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 से तहसीलदार को भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दिये जाने पर भी वह धारा 135 (2) के तहत उत्तराधिकार, अन्तरण एवं अन्य अवापति के विवादास्पद मामलों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं हो जाता है।

8. हमने अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन किया जिस पर न्यायालय तहसीलदार लिखा है व निर्णय भी तहसीलदार की हैसियत से ही हस्ताक्षरित है, से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने तहसीलदार की हैसियत से ही प्रकरण को निर्णित किया है। ऐसी स्थिति में इसकी अपील धारा 75 (एफ) के तहत न्यायालय हाजा के श्रवणधिकार में नहीं होकर धारा 75 (क) के तहत जिला कलेक्टर के श्रवणाधिकार में आती है। ऐसे में प्रस्तुत अपील अपीलान्ट को सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटाई जाना न्यायोचित होगा। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाकर अपीलान्ट को लौटाई जाती है।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर